	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 04, गुरूवार, *शाके* 1948- मार्च 25, 2026 Chaitra 04, Thursday, Saka 1948- March 25, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 10, 2026

संख्या प.6(5)कृषि/ग्रुप-2/1998 पार्ट-।।। :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 28.10.1969 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड द्वारा मण्डी क्षेत्र ग्राम मौजा मे गौण मण्डी यार्ड (अनाज) रेवदर घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम मौजा में गौण मण्डी यार्ड (अनाज) रेवदर स्थापित करने की घोषणा करती है, जिसकी सीमाऐं निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व दिशा मे - रिक्त गोचर भूमि
पश्चिम दिशा मे - राजकीय कालेज
उत्तर दिशा मे - सेलवाडा रोड
एवं दक्षिण दिशा मे - रिक्त गोचर भूमि

गौण मण्डी यार्ड (अनाज) रेवदर की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
स्नेह लता हारीत,
शासन उप सचिव।

22929
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।